महिला सशक्तिकरण पर गैर सरकारी योजनाओं का योगदान (जयपुर जिले के विशेष सन्दर्भ)

रविन्द्र कुमार

किसी भी राष्ट्र या समाज में महिलाओं के प्रति अलग–अलग प्रकार के दृष्टिकोण है। हिन्दू धर्म में स्त्री को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से उसे धन, शक्ति और बृद्धि के आदर्श के रूप में प्रदर्शित किया गया है जबकि भारतीय नारी के संदर्भ में मान्यता बिल्कुल विपरीत है। आज भले ही कानून लड़की के पिता के धन पर अधिकार स्वीकार करता है किन्तु इस कानून का क्रियान्वयन समाज में तब तक होना सम्भव नहीं है, जब तक कोई कुंजी कानून के द्वार पर दस्तक नहीं देती। हिन्दु धर्म में शक्ति का अवतार भले ही दुर्गा हो किन्तु भारतीय नारी को आज भी अबला ही माना जाता है। इसी प्रकार एक लम्बे समय तक स्त्री की बुद्धि और विवके को समाज द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखा जाता रहा है और आज भी देखा जा रहा है।

साहित्य की समीक्षा

किसी भी शोध को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए इसके अध्ययन से सम्बन्धित पूर्व साहित्य की पूर्ण जानकारी ग्रहण करना अति आवश्यक है। सम्बन्धित शोध कार्यों के अध्ययन द्वारा प्राप्त उनकी उपलब्धियों और त्रुटियों के आधार पर हमें नये शोध कार्य की मजबूत आधारशिला मिलती है और शोध की त्रुटियां कम करने के अवसर मिलते हैं। वाल्टर आर. बोर्ग ने ठीक ही कहा है कि ''किसी भी क्षेत्र का साहित्य भविष्य में खण्ड बनाने वाले अध्ययन भवन की आधारशिला होता है।''

रमा, शर्मा एवं एम.के., मिश्रा (2010) 'महिला विकास' इस पुस्तक में लेखक ने महिला विकास के प्रतिमान, भारत में महिला विकास के कार्यक्रम, भारतीय समाज में महिलाओं के विविध रूप, महिला अधिकारः सामाजिक विकास, आरक्षण से महिलाओं का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आदि विषयों पर चर्चा की गई है। महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष न समझना विकसित समाज की विडम्बना है। वर्तमान में स्त्रियों ने पढ़–लिखकर विशेष स्थानों तथा पदों पर पुरूषों की बराबरी कर ली है लेकिन हमारे देश में दहेज के कारण 1000 स्त्रियाँ हर साल मारी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की साक्षरता स्थिति भी अच्छी नहीं है। भारत में सांसदों व प्रबन्धकीय पदों पर महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 7 एवं 2 प्रतिशत ही है।

मंजुलता, छिल्लर (2010) 'भारतीय नारीः शोषण के बदलते आयाम' इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि स्वतन्त्रता के 69 वर्ष के बाद भी महिलाओं के प्रति समाज में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी नारी का मानसिक, शारीरिक शोषण होता है। इस कारण महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार देकर उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक एवं वर्तमान सन्दर्भ में नारी शोषण की अवधारणा एवं परिभाषा, कामकाजी महिलओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति, कानूनी प्रावधान एवं जागरूकता आदि विषयों पर प्रकाश डाला है।

वीरेन्द्र सिंह, यादव (2010) 'इक्कीसवीं सदी का महिला सशक्तिकरणः मिथक एवं यथार्थ' इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि महिलाऐं समाज का आधा हिस्सा होने के कारण से महिला एवं विकास का अंतरंग सम्बन्ध है। कोई भी समाज तक तक विकास नहीं कर सकता, जब तक उस समाज का लगभग आधा भाग शोषित एवं अविकसित है महिला सशक्तिकरण की अवधारणा महिलाओं के सम्पूर्ण विकास से सम्बन्धित है। जिसके द्वारा महिलाएं समाज में गरिमापूर्ण न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें तथा समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण एवं सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सके। लेखक ने नारी सशक्तिकरण आन्दोलन, भारतीय समाज में महिला की विकास यात्रा, 21वीं सदी में नारी प्रासंगिता, महिला सशक्तिकरण, भारतीय समाज एवं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण आज के सन्दर्भ में आदि विषय पर चर्चा की है।

कुलदीप, माथुर (2013) 'ऑक्सफोर्ड भारत का लघ्यु परिचय 'पंचायती राज'' इस पुस्तक में लेखक ने महिला पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चचाद्य की गई है जिसमें से प्रमुख सरकार, विकेन्द्रीकरण व्यवस्था और पंचायती राज, सुशासन और पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज और संवैधानिक प्रावधान, पंचायती राज से जुड़ी विभिन्न समस्याएं, गांधीवादी विचारधारा, पंचायती राज और स्वयं सेवी संगठनों, पंचायती राज की ढांचागत व्यवस्था व चुनाव प्रणाली, के

अतिरिक्त पंचायतों के वित्तीय साधन व पंचायतों की कार्यप्रणाली जैसे अनेक पंचायती मुद्दों पर चर्चा की गई है।

डी.ए., खन्ना (2013) 'स्थानीय ग्रामीण सरकार और भारत' इस पुस्तक में लेखक ने स्थानीय ग्रामीण शासन की प्राचीन, मध्य व ब्रिटिश कालीन व्यवस्था के साथ प्रथम से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि, पंचायती राज अधिनियमों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् संस्थाओं की कार्यप्रणाली को उल्लेखित किया गया है।

विप्लव (2013) 'महिला सशक्तिकरणः विविध आयाम' इस पुस्तक में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि महिलायें अब अबला नहीं सबला और सर्वसक्षम हैं। वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सजग, सतर्क और समर्थ हैं। वस्तुतः नारी की स्थिति धीरे–धीरे निरन्तर विकासोन्मुख है। नारी सम्बन्धी जो धारणाएँ, जो मुद्दे अब तक नेपथ्य में पड़े हुए थे और परदा खिंचा हुआ था वे एक–एक करके बहार आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

कल्पना, गुप्ता एवं ममता, शर्मा (2014) 'महिलाएं, परिवार और बच्चों की सुरक्षा' इस पुस्तक में लेखक ने महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित बताया गया है। महिलाएं परिवार का अहम् हिस्सा हैं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- राजस्थान में महिला सशक्तिकरा के स्तर को जानना।
- महिला सशक्तिकरण में गैर–सरकारी संगठनों की भागेदारी की जांच करना।
- महिला सशक्तिकरण में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना।

परिकल्पनाएं

- महिलाओं को महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित अधिकारों व अधिनियमों की जानकारी का अभाव।
- महिलाऐं गैर सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा बहुत कम महिला आश्रम/छात्रावास चलाये जा रहे हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान व जयपुर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें दोनों का निदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया है। इसमें जयपुर के विकसित व अविकसित जिलों का निदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया है। जिले में कई गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। शोधकर्त्ता द्वारा दैव निर्दशन पद्धति की नियमित अंकन प्रणाली द्वारा जिले के गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया है। जयपुर में 1. महाराणा प्रताप केन्द्र, 2. मानव कल्याण संस्थान, 3. सुरमन संस्थान, 4. संकल्प समूह 5. बी.आर. अम्बेडकर प्रोग्रेसिव वूमेन संस्थान 6. बाल भवन शिक्षा समिति 7. बाल संस्थान संसार 8. भारतीय शिक्षा सुध आवाम निर्देशन संस्थान 9. चित्रान्श सामाजिक विकास संस्थान 10. दिपशीखा महिला बाल उत्थान समिति 11. एक दो बढ़ते कदम 12. कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति 13. कुटूंबकम ग्रामीण महिला विकास संस्थान 14. लक्ष्मी देवी ऐजुकेशन सेन्टर 15. महिला एवं बाल उत्थान समिति 16. मार्गी ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान 17. मारूती शिक्षा समिति 18. मित्रा महिला एवं बाल विकास समिति 19. मुकतिका 20. नीड एजुकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सोसायटी 21. निर्मल संस्थान खण्डेल 22. पहल पीपुल्स ट्रस्ट 23. प्रयास एक कदम 24. रोशनी जन चेतना महिला प्रशिक्षण संस्थान 25. सामाजिक आर्थिक विकास समिति 26. सरोजनी नायडु महिला विकास एवं कल्याण समिति 27. सावित्री फूले ऐजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी 28. सुभाष बाल विद्यालय समिति 29. ऊडान यूथ ऑगनाइजेशन 30. ऊमा बाल कल्याण समिति 31. उत्थान समिति 32. विजय श्री शिक्षा समिति 33. विशाखा गुरू फॉर वूमन एजूकेशन एण्ड रिसर्च आदि। जयपुर जिले में गैर सरकारी संगठनों द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे शोधकर्त्ता द्वारा नियमित अंकन प्रणाली द्वारा किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु दो

अनुसूचियों का प्रयोग किया गया है, प्रथम पदाधिकारियों व दूसरा लाभप्राप्तकर्त्ताओं के लिए है। जबकि द्वितीय स्त्रोत के रूप में जरनल, अनुसंधान, पत्र व पत्रिकाओं से सहायता ली गई है।

शोध सीमाऐं

- महिलाओं में शिक्षा का अभाव।
- महिलाओं जागरूकता में कमी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी सोच।
- महिलाओं तक योजनाओं की पहुँच का अभाव।

प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति

महिला उत्पीड़न को आज के युग की घटना मानना अतिश्योक्ति होगी, क्योंकि प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक महिला उसी त्रासदी से गुजर रही है। प्राचीन काल में महिला उत्पीड़न के अनेक उदाहरण मिलते है जैसे– रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था, युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुएं में दाव पर लगा दिया था तथा दुर्योधन ने भी सभा में उसका चीर हरण कर अपमानित किया था।

स्त्रियों के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते है। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरूषों के समकक्ष सम्मान एवं प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में है तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरूषों से भिन्न दर्जे का मानना है। नारी के प्रति यहीं दूसरा दृष्टिकोण प्राचीलकाल से लेकर वर्तमान काल तक विद्यमान है। इसी कारण समाज में नारी को उत्पीड़ित किया जाता है। उसका शोषण किया जाता है तथा उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है। आधुनिक काल में यह महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। आये दिन अखबार व मैग्जीन में महिला उत्पीड़न की घटनाएं सुर्खियों में परिलक्षित होती है।

आधुनिक काल में उत्पीड़न को बढ़ावा देने में दहेज प्रथा तथा मादा भ्रूण हत्या ने प्रमुख भूमिका निभाई है। दहेज के लिए बहुओं को मारना, जलाना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर महिलाओं को जिन्दा जला देना आम बात हो गई। बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनायें आज भी घटित हो रही है। प्राचीन काल से आधुनिक काल में उत्पीड़न की मात्रा व वीभत्सना में कमी या बढ़ोतरी अवश्य हुई लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ।

भारत में स्त्रियों की स्थिति का विषय अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है इसलिये विभिन्न युगों में नारी की स्थिति क्या रही? मानवीय विकास में इसका कितना योगदान रहा और कहां आकर यह संतुलन बिगड़ा, इस संतुलन ने समाज को पुरूष व स्वयं नारी को कितनी क्षति पहुँचाई क्योंकि समाज के संतुलन, विकास तथा समृद्धि में नारी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है।

एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ है एक परिवार को शिक्षित करना। नारी संतान को जन्म देती है उनका पालन–पोषण कर बड़ा करती है। अगर स्त्री की स्वयं की शिक्षा तथा संस्कार उत्तम नहीं होंगे तो वह राष्ट्र व समाज को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है। अतः समाज के लिये स्त्री का स्वरूप, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल व बुद्धिमान आदि होना अनेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब उसकी स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोण से निम्न होगी तो स्वाभाविक है परिवार, समाज व राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। एक तो स्त्रियां स्वयं राष्ट्र की आधी जनसंख्या है तथा दूसरे बच्चे, युवा और वृद्धजन अपनी अनेक पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये उस पर निर्भर रहते है।

मनवीय भावना व मानसिक क्षमता के स्तर पर नारी पुरूष से कुछ भिन्न है। निम्न नहीं। प्रकृति प्रदत्त शारीरिक भिन्नता के अलावा उनमें जो कुछ भी भिन्न दुर्बल या निचले स्तर का रहा है वह विभिन्न काल तथा विभिन्न परिस्थिति की उपज है। इस प्रकार नारी की परिस्थिति प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक एक सी रही है इसके लिये विभिन्न युगों में नारी की परिस्थिति भी भिन्न ही है।

महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण बिन्दु

महिलाओं को अपनी स्वयं क्षमता की अनुभूति, महिलाओं को अपनी पसंद–नापसंद निश्चित करने का हक, महिलाओं को स्त्रोतों

और सुअवसरों तक पहुंचने का हक, महिलाओं को अपने घर तथा बाहर नियंत्रण करने की शक्ति, महिलाओं की सामाजिक बदलाव में भूमिका। जिससे न्यायोचित सामाजिक और आर्थिक स्तर का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं और गैर सरकारी संगठनों का तालमेल रहे।

राष्ट्रीय स्तर

1913 में मैसूर महिला सेवा समाज बना और 1916 में इसके बाद दक्षिण भारत में भी संस्थाएँ खुली, भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के बारे में जगाने के लिए एनी बेसेंट, मार्गरेट कनिंस और डोरा थी, चिंतरनदास को याद किया जाता है। नतीजा यह हुआ कि 1920 में मद्रास पहला प्रांत बना, जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया। 1921 में फिर महाराष्ट्र ने भी यही किया। आजादी के तुरन्त बाद ही महिलाएं संसद सभाओं के लिए चुनी जाने लगी और इसके बाद यह संख्या बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ ग्राम स्तर पर महिला सेवा और समाज शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता हुई, इस आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने 73वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये। भारत में पहली बार महिलाओं की स्थिति की जांच के संबंध में 1971 में एक राष्ट्र स्तरीय कमेटी 'कमेटी आन स्टेटस ऑफ वोमेन' बनी। दस महिला सदस्यों की इस कमेटी ने 1974 में सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के अलावा राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जो दिया। 1980 के दशक में महिला आन्दोलन अपनी पूरी मजबूती और स्पष्टता के साथ उभरा। 1980 को ही स्वतन्त्रता के बाद पहली बार देश भर की महिलाएं बलात्कार, विषयक कानून और सुधार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जगह–जगह इक्ट्ठी हुई।

राज्य स्तर

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए तथा उन्हें कानूनी संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरकार ने 'राज्य महिला आयोग' का गठन किया। उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का गठन किया जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव तथा उत्पीड़न के मामलों में सख्ती से निपटने के लिए कानूनी संरक्षण की व्यवस्था भी की है। राज्य में बहुत से विभागों की मंत्री महिलाएं हैं। हर जिले में महीने में खुले जनता दरबार लगाकर उत्पीड़न के मामलों को अविलम्ब निपटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब किसी दफ्तर में महिला का उत्पीड़न किया जाता है तो वह प्रभावशाली अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाती तो वह महिला गैर सरकारी संगठन से बात करती है तो महिला की एफ.आई.आर. दर्ज गैर सरकारी संगठन में तुरंत प्रभाव से दर्ज की जाती है और गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजता है और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में अहम् भूमिका गैर सरकारी संगठन की रहती है।

अन्य प्रयास

महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकास योजनाऐं और कार्यक्रम किये जा रहे हैं। जो इस प्रकार हैंः महिला जागृति योजना, समन्वित विकास योजना, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना, ग्रामीण विकास की और शक्तिसम्पन्नता, राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा महिया विकास निगम, महिला वृद्धाश्रम, महिला मानवाधिकार आयोग इत्यादि।

गैर सरकारी संगठन

गैर सरकारी संगठन पदावली का प्रयोग मुख्यतः अलाभकारी सेवा संगठन के रूप में किया जाता है गैर–सरकारी संगठन के अन्तर्गत ऐसे ग्रुप व संस्थान आते हैं, जो पूर्ण रूप से या अधिकांश रूप से गैर सरकारी होते हैं इनका उद्देश्य व्यावसायिक न होकर मुख्यतः मानव कल्याण हेतु और सहकारी तौर पर काम करना होता है। औद्योगिक क्षेत्र देशों में ये प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं। ये संस्थाऐं अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए सहायता प्रदान करती हैं यह सहायता प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर गठित देशीय ग्रुपों और गांवों के सदस्य ग्रुपों को भी प्रदान की जाती है।

प्रथम गैर सरकारी संगठनों का लाभ अर्जित न करने वाला स्वयं सेवी, सेवा भाव वाला। विकास प्रकृति वाला एक ऐसा संगठन है, जो अपने संगठन के मूल सदस्यों या जन समुदाय के अन्य सदस्यों के हितों के लिए काम करता है।

द्वितीय यह निजी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो कुछ मूलभूत साधन सिद्धान्तों पर विश्वास करता है और अपनी गतिविधियों का गठन समुदाय के एक ऐसे वर्ग के विकास के लिए करता है जिसकी जरूरत के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाता है।

तृतीय यह एक समाज विकास प्रेरित संगठन है जो सभी को सशक्त और समर्थ बनाने में सहयोग देता है।

चतुर्थ यह एक ऐसा संगठन या जनता का एक ऐसा समूह है जो स्वतन्त्र रूप से काम करता है और इस पर किसी तरह का कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक गैर सरकारी संगठन के अपने कुछ खास उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, जिनके आधार पर वे किसी समुदाय, इलाके या परिस्थिति विशेष में उपयुक्त बदलाव लाने के लिए अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं।

पंचम यह स्वतंत्र लोकतान्त्रिक और गैर साम्प्रदायिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जो आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से नीचे के स्तर के लोगों के समूह को सशक्त बनाने का काम करता है।

षष्ठम यह जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं होता और जो आम तौर पर जन समुदाय को मदद देने, उनके विकास व कल्याण के कार्यों में जुटा रहता है।

सप्तम यह एक ऐसा संगठन है जो समाज को समस्याओं के मूलभूत कारणों की जड़ों का पता लगाने और विशेष रूप से गरीब, उत्पीड़ित, सामाजिक दृष्टि से हीनतम स्थिति के लोगों, जैसे छुआछूत, एच.आई.वी. पीड़ित लोगों की मदद करना, वे चाहे शहरी हो या ग्रामीण इलाकों में हो। उनकी मदद करने के प्रति वचनबद्ध है।

अन्त में, गैर सरकारी संगठन जन समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता या बहुत ही कम होता है। ये धर्मार्थ संगठन ही नहीं होते बल्कि, ये सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं।

गैर सरकारी संगठन को परम्परागत रूप से निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवी एजेंसियाँ, स्वयं सेवी विकास संगठन, गैर सरकारी विकास संगठन आदि।

गैर सरकारी संगठन की कार्य प्रणाली

सरकार ने अपने राज्य नाति के निर्देशित सिद्धान्तों के तहत राज्य को कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया है, अतः निश्चित रूप से नागरिक समाज और सामाजिक संगठनों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे भी अनाथ, दलित और कमजोद वर्गों (महिलाओं व बच्चों) की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधओं को प्रदान करने के लिए अपनी विशेष भूमिका निभाए। सरकार ने नागरिकों के जीवन स्तर और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ योजनाएं निर्धारित की है जिनमें गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवी संगठन अपना योगदान दे रहे हैं ये हैं वृद्धों का संरक्षण, कृषि, पशु कल्याण, कला दस्तकारी, शिशु कल्याण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनजातीय लोग, कूड़े–कर्कट का नियन्त्रण, महिला कल्याण विकास, अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आदि।

निष्कर्ष व सुझाव

भारत में महिला के स्वरूप की अवधारणा कतिपय पारम्परिक मान्यताओं पर आधारित हैं। एक ओर महिला को पूज्य बताया गया हैं, जैसा कि मनु ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते है– ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता'', दूसरी ओर पारम्परिक रूप से पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को सदैव नीचे स्तर पर रखा गया हैं। यह विरोधाभास दीर्घकाल से भारतीय सामाजिक संरचना में विद्यमान रहा हैं। विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं के विषय में सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन से इस विरोधाभास की व्यापकता का अनुमान लगाना समुचित हैं। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय में भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तर की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति व विभिन्न कालखण्डों में हुए परिवर्तन पर विचार करना भी समुचित प्रतीत हुआ।

- महिला सशक्तिकरण का मूलमंत्र शिक्षा है। महिलाओं को शिक्षा का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का ज्ञान करवाना ताकि वे एकत्रित होकर लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या,

घरेलू हिंसा एवं महिला मजदूर कल्याण प्रावधान, एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों का विरोध कर सकें।

- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरूषों की संतुलित भागेदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन–अभियान चलाया जाना चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों को भी महिलाओं की जागरूकता और उनकी जरूरत के अनुसार कैम्पों का आयोजन करना चाहिए।
- राजनीतिक दलों में भी महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों में महिला पदाधिकारियों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों को महिला सशक्तिकरण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और खेल–कूद की प्रतियोगिता करवानी चाहिए।
- महिलायें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने साथी पुरूष पर न निर्भर रहें।
- महिलाओं को निजी क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं, कम उम्र की लड़कियों की तस्करी पर रोक लगाई जाए, जिन्हें वे पुलिस का कार्य समझ कर छोड़ रहे हैं।
- सभी गैर सरकारी संगठन नियमित रूप से पंजीकरण करवायें। जनता के फण्ड या सरकारी अनुदान का एक–एक पैसा जन–कल्याण के उद्देश्य पूर्ति पूरे विवके पूर्ण ढंग से प्रयोग हों और कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए।
- समाज में फैली सामाजिक बुराईयों के लिए गैर सरकारी संगठन नुक्कड़ नाटाकें, सभाओं आदि पर ध्यान आकर्षित करें।

शोधार्थी

इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संदर्भ ग्रन्थ

- त्रिपाठी, कुसुम 2007: महिलाएँ दशा एवं दिशा, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- भण्डारी, मीनू 2002: हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, विधानमाला, जनवरी–दिसम्बर, अंक 1–2, वोल्यूम–8
- रस्तोगी, अल्का 2004: महिलाऐं पाँच जीवन, अधिकार और सामाजिक दशाएँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- शर्मा, ममता 2014: महिलाऐं परिवार और बच्चों की सुरक्षा, ज्ञानदीप पब्लिशर्स, जयपुर
- शर्मा, आर.के. 2014: सामान्य ज्ञान राजस्थान, विष्णु पब्लिशर्स, जयपुर
- शील स्वरूप पाण्डेय 2009: पंचायती राज तथा महिला सशक्तिकरण, मिथक एवं वास्तविकता, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली

शोध–पत्र व पत्रिकाएँ

- सविता किशोर 2008: महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे, आर.वी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर
- सेतिया, सुभाष 2005: कब खत्म होगा बाल विवाह का अभिशाप, समाज कल्याण, अंक 4
- वर्मा, डी. 2002: मध्यप्रदेश पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों का सरलीकरण, कुरूक्षेत्र, अंक 2
- ज्योति, नीलीमा कुंवर 2012: ग्राम तथा परिवार के विकास की उद्यमिता, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जैन, उर्मिला 2002: पंचायत में महिलाऐं और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली अंक 16
- अपलोनकार, एम्बराव 2005: इम्पावरमैन्ट ऑफ वुमैन, मैनस्ट्रीम, वोल्यूम एक्सएलआईआईआई अंक
- अरोड़ा रेणु 2011: सहकारिता और महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र
- आभा, ओइना 2010: संचार माध्यम और महिला सशक्तिकरण, राज्य लोकप्रशासन संस्थान, जयपुर